



UPLK010037042026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, लखनऊ

दाण्डिक प्रकीर्ण वाद सं०: 399/2026

नीरज टण्डन बनाम हरि मोहन गुप्ता व अन्य

दिनांक: 22.06.2026

1. पत्रावली पेश हुई। पुकार पर आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता उपस्थित।
2. यह स्थानान्तरण आवेदन, न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष सं०-29, लखनऊ में लम्बित प्रकीर्ण वाद सं०: 1032/2026 नीरज कुमार टण्डन बनाम हरी मोहन अन्तर्गत धारा 173(4) बी०एन०एस०एस० को थाना चौक से सम्बन्धित क्षेत्राधिकारिता वाले न्यायालय में शीघ्र निस्तारण के उद्देश्य से स्थानान्तरित करने हेतु प्रस्तुत किया गया है। यह कथन किया गया है कि प्रकरण की विषय वस्तु थाना चौक से सम्बन्धित है, जबकि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी०एन०एस०एस० में त्रुटिवश थाना ठाकुरगंज अंकित हो गया था। समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उक्त प्रार्थनापत्र पर सम्बन्धित न्यायालय के प्रभारी-पीठासीन अधिकारी द्वारा आख्या दिनांकित 10.06.2026 प्रस्तुत कर सन्दर्भित वाद के उक्त न्यायालय में लम्बित होने तथा पत्रावली के किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने पर कोई आपत्ति न होने का उल्लेख किया गया है।
4. सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।
5. प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक द्वारा संदर्भित वाद की विषय-वस्तु थाना चौक से सम्बन्धित होना अभिकथित है। अतः आवेदक का शपथ पत्र से समर्थित अभिकथन देखते हुए तथा इस तथ्य के दृष्टिगत कि थाना चौक से सम्बन्धित मामलों की सुनवायी का क्षेत्राधिकार वर्तमान में न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष सं०-28, लखनऊ को प्राप्त है, स्थानान्तरण आवेदन स्वीकार किये जाने योग्य है।

—:आदेश:—

तदनुसार, स्थानान्तरण आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है। न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष सं०-29, लखनऊ में लम्बित प्रकीर्ण वाद सं०: 1032/2026 नीरज कुमार टण्डन बनाम हरी मोहन अन्तर्गत धारा 173(4) बी०एन०एस०एस० को उक्त न्यायालय से विधि अनुसार सुनवायी एवं निस्तारण हेतु **न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष सं०-28, लखनऊ** में स्थानान्तरित किया जाता है।

सर्वसम्बन्धित सूचित हों।

(मलखान सिंह)
सत्र न्यायाधीश,
लखनऊ